समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

21-11-2013

आवेदक श्री सफदर अली, पिता–मो0 मुमताज, सा0–समनपुरा, पो0–बी0भी0 कॉलेज, थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर पिस्टल/रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–298/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–21.11.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–21.11.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे बेरोजगार एवं अविवाहित हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1457/गो0, दिनांक–03.10.2013 द्वारा पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना के माध्यम से प्राप्त पत्र में थानाध्यक्ष, शास्त्रीनगर के जाँच प्रतिवेदन में आवेदक को अनुज्ञप्ति दिये जाने के बिन्दु पर संतुष्ट नहीं होने का मंतव्य दिया गया है। साथ ही पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना द्वारा आवेदक का उम्र करीब 38 वर्ष, अविवाहित होने, बेरोजगार होने, थोड़ा गर्म मिजाज का होना एवं अपने पिता पर आश्रित होने का उल्लेख किया गया है, तत्पश्चात् आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति आवश्यक प्रतीत नहीं होने की टिप्पणी की गयी है। तदोपरान्त आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अनुलग्नक सहित मूल में संलग्न कर भेजी गयी है। पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, शास्त्रीनगर के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदक का उम्र करीब 38 वर्ष है। वे थोड़ा गर्म मिजाज के हैं तथा अभी बेरोजगार हैं और अपने पिता पर आश्रित हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। तदोपरान्त आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में संलग्न कर अवलोकनार्थ भेजा गया है। थानाध्यक्ष, शास्त्रीनगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक बेरोजगार और अविवाहित हैं। वे गर्म मिजाज के हैं। आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है तथा कंडिका–15 अन्तर्गत आवेदक को *शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आवेदक के आवेदन पत्र से संतुष्ट नहीं हैं।*

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहॉ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहॉ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर पिस्टल/रिवाल्वर हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है तथा उनको शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने से लोक शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, 14 शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री सफदर अली, पिता–मो0 मुमताज, सा0–समनपुरा, पो0–बी0भी0 कॉलेज, थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर पिस्टल/रिवाल्वर अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।